हर कदम, हर डगर
किसानों का हमसफर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ICAR
Agrisearch with a human touch

विस्तार बुलेटिन क्रमांक : 03 (2022)

बीजीय मसाला

उन्नत विपणन पद्धतियां और प्रमुख मंडियां

NRCSS
Excellence in Seed Spice Research
Since 2000

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द,
तबीजी, अजमेर - 305206
दूरभाष - 0145-2684401, 2684402
फेक्स - 0145-2684417
बेवसाईट - www.nrcss.icar.gov.in

icarnrcssajmer icarnrcss Seed Spices Info

भारत में विपणन दक्षता और मूल्यवर्धन वर्तमान कृषि-निति के प्रमुख मुद्दों में से एक है। कृषि में फसल की अधिक पैदावार प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरुरी पैदावार को उचित मूल्य, उपयुक्त जगह, सही समय और यथाचित रूप में बेचना भी है। बीज मसालों का विपणन बड़े पैमाने पर छोटे और सीमांत किसानों और बिचौलियों द्वारा नियंत्रित है परिणामस्वरूप उपभोक्ता कीमत में किसान की हिस्सेदारी कम है। उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सुरक्षित बीज मसाले सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में स्वच्छ और सुरक्षित विपणन प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, बदलती जीवन शैली, बढ़ते शहरीकरण और उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण गुणवत्ता वाले मसालों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि, पूरे मसाला रसद मार्गों में उन्नत विपणन पद्धतियां की जरुरत को दर्शाता है। उत्पादकों को लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कम विपणन लागत पर अधिक कुशल बाजार की आवश्यकता है। बीज मसाला उपज के उत्तम भाव लेने के लिए निम्न विपणन पद्धतियों को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है।

1. किस्मों का चयन

उन्नत विपणन पद्धतियां सही किस्म के चयन से शुरू होती है। उच्च उपज क्षामता और गुणात्मक विशेषताओं के साथ उपभोक्ताओं, प्रोसेसर और निर्यातकों द्वारा अधिक स्वीकार्यता वाली किस्मों का चुनाव की आवश्यकता है। जीरे में गुजरात जीरा-1, गुजरात जीरा-2, गुजरात जीरा-3, गुजरात जीरा-4, आरजेड-19 और आरजेड-209 शामिल है। जीसी-4 सबसे व्यापक गुणवत्ता वाले बीज के साथ अधिक उपज वाली किस्म है जिसके परिणामस्वरूप जीरा उत्पादकों को अधिक मुनाफा मिलता है।

धनिया की उन्नत किस्मों में अजमेर धनिया-1, अजमेर धनिया-2, आरसीआर-41, आरसीआर-20, आरसीआर-435, आरसीआर-436, आरसीआर-684, आरसीआर-446, स्वाति, सिंधु, लाम चयन, साधना, कोयम्बटूर-1, कोयम्बटूर-2 और कोयम्बटूर-3 अच्छी मांग के साथ बीज उद्देश्य के लिए अच्छी किस्में हैं। पिसाई एवं पावडर उद्योग मोटे दाने वाली की किस्मों को चुनता है जबकि प्रत्यक्ष बीज की खपत और निर्यात बाजार अधिक वाष्पशील तेलों के साथ छोटे एवं हरे रंग के बीज पसंद करते हैं। पत्तियों के प्रयोजन और बेमौसम की खेती के लिए किसानों को अजमेर हरा धनिया उगाना चाहिए।

अजमेर सौंफ-1, अजमेर सौंफ-2, गुजरात सौंफ-1, गुजरात सौंफ-2, गुजरात सौंफ-11, राजस्थान सौंफ-101, राजस्थान सौंफ-125, कोयम्बटूर-11, हिसार स्वरूप और कोयम्बटूर-1 सौंफ की अधिक उपज

देने वाली किस्में हैं। सौंफ को चबाने के लिए छोटे बीजों की जरूरत होती है। सौंफ के अधिक पकने से रेशेदार बीज पैदा होते हैं जिन्हें उपभोक्ता द्वारा कम पसंद किया जाता है जिससे किसानों को कम मुनाफा मिलता है।

2. सफाई और ग्रेडिंग

स्रोत-इंटरनेट

बीजीय मसालों में एफ्लाटॉक्सिन, कीटनाशक अवशेष, जहरीली धातुएं, निर्यात उद्देश्यों के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूक्ष्मजीव भार, घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 और खरीदार की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। उत्पाद में पौधे के अवशेष, मिट्टी के कण, खरपतवार के बीज, आदि नही होने चाहिए। उपज को बाजार में बिक्री के लिए ले जाने से पहले ग्रेसिंग या विनोइंग द्वारा साफ किया जाना चाहिए। मृत कीट, अवांछनीय पदार्थ एवं खरपतवार के बीज की उपस्थिति से व्यापारियों द्वारा बाजार में उपज को अस्वीकार किया जा सकता है।

सफाई के लाभः

1. बीज की शुद्धता बनाए रखना
2. बीज की विपणन कीमत में वृद्धि
3. रोपण और बीज दरों में एक-समानता
4. नए क्षेत्रों में खरपतवार के प्रसार को रोकना
5. उच्च नमी वाले बीजों को अलग कर बीज हानि कम करना

ग्रेडिंग के लाभ

स्रोत-इंटरनेट

1. उपज का अधिक मूल्य
2. दुरस्त बाजारों में उत्पाद आसानी से बेचा जा सकता है
3. भौतिक निरीक्षण खर्च, भंडारण नुकसान और विपणन लागत में कमी
4. उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पाद, अलग-अलग कीमतों की तुलना कर क्रय जोखिम को कम करना
5. बाजार प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारण दक्षता में योगदान

3. पैकिंग

पैकिंग उत्पाद के विपणन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीज मसालों की अच्छी पैकिंग न केवल परिवहन और भंडारण में सुविधा प्रदान करती है बल्कि उपभोक्ता को अधिक भुगतान करने के लिए भी आकर्षित करती है। विपणन में पैकिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद गुणवत्ता की रक्षा करती है । यह भंडारण, परिवहन और अन्य विपणन कार्यों के दौरान संभावित नुकसान से उपज की रक्षा करती है। यह बीजों को संदूषण, यांत्रिक क्षति और हानि से बचाती है। अच्छी पैकिंग विपणन लागत को कम करती है । उचित पैकेज में बीज ज्यादा आकर्षक लगते है।

4. परिवहन

स्त्रोत-इंटरनेट

परिवहन कृषि उत्पादों के कुशल कृषि विपणन की कुंजी है। यह बीज मसालों को उत्पादन क्षेत्र से वितरण क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। कुशल परिवहन बीज मसालों को उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक ले जाती है। कृषि में उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परिवहन का त्वरित, सस्ता, विश्वसनीय और सुविधाजनक होना आवश्यक है। एक कुशल परिवहन और विपणन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि इकाई लागत कम रहे और उत्पाद की गुणवत्ता मजबूत स्तर पर बनी रहे।

मसालों के परिवहन में ध्यान देने योग्य बिंदु

बीज मसाला आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न परिवहन साधनों का चयन करते समय परिवहन की लागत, विश्वसनीयता और नियमितता, माल की सुरक्षा और समय पर विचार करना चाहिए। उत्पाद को ट्रकों पर इस तरह से लोड किया जाना चाहिए कि संतुलित ढुलाई और सुरक्षित उतराई सुनिश्चित हो। परिवहन के दौरान उत्पाद ढका हुआ हो ताकि बारिश का पानी उत्पाद में प्रवेश नही कर सके। ट्रक साफ, सूखे और गंध रहित होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमसीओ) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हानिकारक पदार्थ मालवाहक कंटेनरों का उपयोग बीजीय मसाला परिवहन में नही किया जाना चाहिए। कंटेनरों के फर्श सूखे होने चाहिए अन्यथा बैग गीले हो जाने से उत्पाद नमी को सोख लेते है और परिणामस्वरूप उत्पाद में फफूंद या कवक उत्पन्न हो जाती है। शोषक 'पोल' या कैल्शियम क्लोराइड से भरे डिब्बे अपने वजन का लगभग 100 प्रतिशत नमी अवशोषित कर लेते है इसलिए इसका उपयोग परिवहन के दौरान नमी को तहसीमा में बनाये रखने में किया जा सकता है।

5. भंडारण

भंडारण विपणन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसका कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भंडारण बीज मसाला आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए अनिवार्य है। पर्याप्त भंडारण सुविधाएं हर समय और सभी जगहों पर प्रभावी ढंग से वितरण और विपणन में मदद करती है। उत्पाद को सुव्यवस्थित गोदामों में संग्रहित किया जाना चाहिए जहाँ छत, दीवारों, दरवाजों या खिड़कियों के माध्यम से पानी के प्रवेश की संभावना नही हो ताकि भंडारण और परिवहन के दौरान कवकों और मायकोटॉक्सिन के विकास को रोका जा सके। कीट क्षति को रोकने के लिए भंडारगृहों में उचित कीट नियंत्रण सुविधाए होनी चाहिए। उत्पाद को फर्श और दीवारों से दूर रखा जाना चाहिए ताकि उत्पाद नमी न पकड़ सके। पसीने और कवक के संक्रमण को रोकने के लिए गोदाम में उचित वायु परिसंचरण होना चाहिए। बैग और छत के बीच पर्याप्त शीर्ष स्थान महत्वपूर्ण है। भंडारण से पहले बीज मसालों को पूरी तरह से सुखा लेना चाहिए ताकि नमी की मात्रा 10 प्रतिशत से कम हो। हवा के आवागमन की जोरदार सिफारिश की जाती है, भले ही बीज को सुखाकर रखा जाए। प्राकृतिक वायु सुखाने या वातन उपचार के लिए लाभदायक होता है। धनिया एवं अन्य बीज मसालों में सुगंधित तेल बहुत अस्थिर और वाष्पशील होते है इसलिए इन फसलों को सीधे तेज धूप या गर्म हवा में सुखाने से बचना चाहिए। भंडारण संरचनाओं में तापमान और आर्द्रता दोनों को सही ढंग से प्रबंधित किया जाना चाहिए। बैगों की संख्या को प्रलेखन पर दर्ज किया जाना चाहिए ताकि भडांरण प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके।

स्त्रोत-इंटरनेट

तालिका: भारत में प्रमुख बीजीय मसाला मंडियां

फसल का नाम	प्रमुख मंडियां
अजवाइन	राजस्थान - प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, रामगंजमंडी गुजरात - जामनगर, उंझा मध्य प्रदेश - नीमच, रतलाम, जौरा आन्ध्रप्रदेश - करनूल
अजमोद (सेलरी)	पंजाब - अमृतसर गुजरात - नडियाद उत्तर प्रदेश - सहारनपुर
धनिया	आंध्र प्रदेश - गुंटूर, वरवाकोंडा, नंदयाल, औगोल राजस्थान - अटरू, बारां, रामगंजमंडी, कोटा मध्यप्रदेश - गुना, खुंभराज, मंदसोर गुजरात - उंझा, राजकोट, जूनागढ़, गोंडल, सुरेन्द्र नगर कर्नाटक - दावणगेरे, बेंगलोर
जीरा	गुजरात - उंझा, पाटन, मेहसाना, राधनपुर, जामनगर, राजकोट राजस्थान - मेडता सिटी, जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, केकड़ी
सौंफ	गुजरात - उंझा, नडियाड, विजापुर राजस्थान - जोधपुर, सिरोही उत्तर प्रदेश- वाराणसी, हाथरस, गोरखपुर
मेथी	गुजरात - उंझा, पाटन मध्य प्रदेश - जौरा, इंदौर, नीमच, खजनेर पंजाब - मलेरकोटला उत्तर प्रदेश - वाराणसी, जामपुर, हापुड़ राजस्थान - जोधपुर, कोटा, रामगंजमंडी, भवानीमंडी, बारां
कलौंजी	राजस्थान - कोटा, रामगंजमंडी मध्यप्रदेश - जौरा, नीमच
सुगंधित तेल और ओलियोरेसिन	केरल - कोचीन, एलेप्पी महाराष्ट्र - मुंबई तमिलनाडु - मद्रास, मदुरै कर्नाटक - बैंगलोर

संकलन एवं संपादन : डॉ. मुरलीधर मीणा, डॉ. एस.एस. मीणा, डॉ. शिवलाल एवं डॉ. संजय कुमार
तकनीकी मार्गदर्शन : डॉ. आर.डी. मीणा, डॉ. ओ.पी. ऐश्वथ, डॉ. आर.एस. मीणा एवं श्री पी.के. अग्रवाल
प्रकाशक : डॉ. एस.एन. सक्सेना, निदेशक

अनुसूचित जनजाति उप-परियोजना के अंतर्गत कृषकों के हित में प्रकाशित